web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 29 मई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 238

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना महामारी के कारण केरल में राज्यसभा उपचुनाव स्थगित

नई दिल्ली (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केरल में एक राज्यसभा सीट के लिए प्रस्तावित उपचुनाव को शुक्रवार को स्थगित करने का फैसला किया। आयोग के मुताबिक, केरल कांग्रेस (एम) के नेता जोश के. मणि गत 11 जनवरी को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था जिस वजह से उप चुनाव होना है। उनका कार्यकाल जुलाई, 2024 तक था। चुनाव आयोग ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 151ए के प्रावधानों के तहत सीट खाली होने से छह महीने के भीतर उपचुनाव के जरिए इसे भरना होता है। आयोग ने इस प्रस्तावित उप चुनाव के लिए किसी तिथि का ऐलान नहीं किया था। उसने बताया कि शुक्रवार को इस मामले पर समीक्षा की गई और फैसला किया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण यह उप चुनाव हालात में सुधार होने तक काराना उचित नहीं होगा। आयोग ने कहा कि संबंधित राज्य से जानकारी लेने और महामारी की स्थिति का जायजा लेने के बाद वह इस मामले पर उचित समय पर फैसला करेगा।

कोयला घोटाला : पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोयले की चोरी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के संबंध में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मिश्रा का काम अवैध गतिविधियों को रोकना था लेकिन ऐसा लगता है कि वह खुद अवैध कोयला माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बांकुड़ा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक मिश्रा को तीन अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश द्वारा 22 मई को पारित आदेश में कहा गया कि मामले की जांच के दौरान में अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी सौ करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन के अपराध में शामिल था। न्यायाधीश ने मिश्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें अस्वीकार करते हुए कहा कि जब अपराध हुआ, तब वह (आरोपी) बांकुड़ा पुलिस थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनका काम अवैध गतिविधियों को रोकना था लेकिन ऐसा लगता है कि वह खुद अवैध कोयला माफिया के साथ मिल गये। उनके विरुद्ध आरोप बेहद गंभीर हैं।

चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान को लेकर पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री के साथ बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की कई हिस्सों को चक्रवाती तूफान यान से काफी ज्यादा प्रभावित किया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा असर देखा गया है। चक्रवात यास ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। प्रभावित लोगों की मदद और उनकी स्थिति को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी के साथ ओडिशा में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की।

देश में कोरोना के दैनिक मामलों का ग्राफ गिरा, एक दिन में आए 1.86 लाख मामले, 3,660 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण का दैनिक ग्राफ लगातार नीचे आता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 44 दिन बाद पहली बार सामने आए कोरोना के नए मामले दो लाख से कम रहे। जबकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा भी कम रहा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 1,86,163 मामले सामने आए हैं। 44 दिनों में ये सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि मौतों का आंकड़ा कम तो हुआ लेकिन तीन हजार से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,660 लोगों की मौत दर्ज की गई। इस प्रकार अब तक देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,18,895 हो गई। जबकि कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,75,55,457 हो गये हैं।

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार गए। वहीं, 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए।

❐ **कर्नाटक में सबसे ज्यादा मौत-** पिछले एक दिन में हुई 3660 लोगों की मौत में सबसे अधिक मौत कर्नाटक में हुई है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। पिछले 24 घंटे के दौरान कर्नाटक में सबसे अधिक 476 की मौत हुई है, जबकि तमिलनाडु में 474 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में 188, केरल में 181, पंजाब में 178, बंगाल में 148, दिल्ली में 117 और आंध्र प्रदेश में 104 लोगों की मौत हुई।

❐ **महाराष्ट्र में 21,273 नए मामले-** महाराष्ट्र पिछले एक दिन में कोविड-19 के 21,273 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 56,72,180 हो गए, जबकि 425 मरीजों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 92,225 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी।

❐ **सक्रीम मामले घटे-** मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 23,43,152 हो गई है, जो कुल मामलों का 8.50 प्रतिशत है। अभी तक कुल 2,48,93,410 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 90.34 प्रतिशत है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत है।

❐ **पौने 21 लाख नमूनों की जांच-** आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 33,90,39,861 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 20,70,508 नमूनों की जांच की गई। देश में नमूनों के संक्रमित आने की दर भी कम होकर नौ प्रतिशत हो गई थी। पिछले चार दिनों से यह 10 प्रतिशत से कम है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 10.42 प्रतिशत हो गई है।

❐ **यूपी में मदरसों की कक्षाएं अब ऑनलाइन शुरू** - उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे इन मदरसों में नामांकित लगभग 18 लाख छात्रों को लाभ होगा। तमाम मदरसे इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल के लिए समूह चैट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मदरसा के छात्रों के लिए पहली कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन कक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी के मंत्री नंदी ने कहा, जब तक मदरसे फीजिकली शिक्षा देना शुरू नहीं कर सकते, तब तक ऑनलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 560 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टाली

» कहा- पॉजिटिव रहें, सोमवार तक हो जाएगा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सरकार 1 जून तक परीक्षाओं पर फैसला ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि आशावादी रहें, शायद सोमवार तक कोई प्रस्ताव आपके पक्ष में हो। हम सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को 300 छात्रों ने पत्र लिखकर कर परीक्षाएं रुकवाने की मांग की थी। परीक्षा रद्द कराने के संबंध में छात्रों ने अपने पत्र में लिखा कि कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई की ओर से ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के फैसले पर रोक लगाई जाए। साथ ही छात्रों ने चीफ जस्टिस से यह भी मांग की कि वह केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश दें कि वैकल्पिक असेसमेंट योजना उपलब्ध कराई जाए।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द फैसला ले सकता है। रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस मसले पर राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिवों के साथ बड़ी बैठक की थी। इस बैठक के बाद कई राज्यों ने सरकार को अपनी राय भेजी है। कई राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। हालांकि कई ने परीक्षाओं से पहले छात्रों को वैक्सीन लगवाने की वकालत की है। छात्र सोशल मीडिया पर लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

ओडिशा, बंगाल और झारखंड को एक हजार करोड़ की मदद

» चक्रवात जैसी आपदा को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की और आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का एलान किया।

पीएमओ ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवात से हुए नुकसान

का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल तैनात करेगी जो राज्यों का दौरा करेगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा, बंगाल और झारखंड को आश्वस्त किया है कि इस संकट के समय में केंद्र उनके साथ है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद का एलान किया है। इसमें से ओडिशा को 500 करोड़ रुपये तुरंत दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी 500 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल और झारखंड को वहां तूफान की वजह से हुए नुकसान के आधार पर दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में बनर्जी और राज्य के मुख्य सचिव 30 मिनट लेट पहुंचे। सीएम ने वहां पहुंचते ही यास से हुए नुकसान को लेकर कुछ कागजात सौंपे और कहा कि दूसरी बैठकें चल रही हैं, मुझे वहां जाना है। इससे पहले मिली खबरों में कहा गया कि ममता बनर्जी मात्र एक दस्तावेज सौंपने के लिए कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन जाएंगी, जहां पीएम मोदी के साथ बैठक बुलाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता के इस कदम के बाद से राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद और बढ़ सकता है। यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री और सांसद देवाश्री चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शामिल हुए।

सुरक्षा बलों के कैम्प स्थापना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए विकास कार्य, नक्सलियों की मांद में बिछ रहा सड़कों का जाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। पहले जहां बस्तर के नक्सल प्रभावित पहुँचविहीन क्षेत्रों में पैदल चलना मुश्किल था, अब वहां सड़क है, बिजली है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक यह सब बुनियादी सुविधाएं यहां के लोगों के लिए सपना था। प्रशासन ने इस सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास किया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले दो सालों में 28 सुरक्षा बलों के कैम्प स्थापित किये गए हैं। इन कैम्पों के स्थापना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आ पाई है।

छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 से अब तक नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों

में 21 सड़क बनाये गए हैं। बीजापुर-आवापल्ली-जगरगुंडा रोड, नारायणपुर-पल्ली-बारसूर रोड, अंतागढ़- बेड़मा रोड, चिन्तानपल्ली-नयापारा रोड, चिंतल नार-मड़ाई गुड़ा रोड, कोंटा-गोल्ला पल्ली रोड आदि पर लगभग 700 किमी सड़कों का जाल बिछा कर दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। वहीं, कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान बस्तर के धुर नक्सल इलाकों में 450 किमी सड़कों का काम पूरा किया गया है। 132 पुल-पुलिया का भी निर्माण कराया गया है। यह सड़कें ऐसे इलाकों में बनी हैं जो नक्सलियों के कब्जे में रहे थे। छोटे पुलों के साथ ही इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन चार बड़े पुलों में से एक छिंदनार के पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह पुल जून के आखिरी सप्ताह तक आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसके बनने से दंतेवाड़ा की ओर से अबूझमाड़ के जंगलों का रास्ता खुल जाएगा। नदी के उस पार सड़क का काम चल रहा है। इस सड़क के बनने से करका, हांदावाड़ा समेत एक दर्जन गांव जुड़ जाएंगे।

बस्तर में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा-बलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जाने की जो रणनीति अपनाई गई है, उसने अब नक्सलवादियों को अब एक छोटे से दायरे में समेट कर रखा दिया है। इनमें से ज्यादातर कैंप ऐसे दुर्गम इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जहां नक्सलवादियों के खौफ के कारण विकास नहीं पहुंच पा रहा था। अब इन क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, यातायात सुगम हो रहा है, शासन की योजनाएं प्रभावी तरीके से ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, अंदरुनी इलाकों का परिदृश्य भी अब बदल रहा है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नए कैम्पों के स्थापना से आदिवासियों के जीवन में बदलाव आया है। इंद्रावती नदी पर चार पुल बनाये जा रहे हैं।

गांव में कोरोना का डर नहीं

» लोगों में अंधविश्वास हावी वैक्सिंग लेने से कतरा रहे हैं गांव के लोग

» सरकार को संघन रूप से जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोनावायरस महामारी को लेकर जहां भारत सहित पूरी दुनिया जहां एक ओर परेशान है । भारत में कोरोना वायरस बीमारी से पूरी तरह से जूझ रहा है क्योंकि पहली लहर से भारत तो मर चुका था लेकिन दूसरी लहर ने भारत में खूब दवाई मचाई है । लेकिन एक और यह भी देखने को मिल रहा है कोरोनावायरस को लेकर भारत के गांव में उन लोगों में बहुत ज्यादा खौफ नहीं है । क्योंकि देखा जाए तो देश की लगभग 70प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। कोरोनावायरस वायरस गांव में ना के बराबर है, गांव में देखा जा रहा है कि लोग कोविड-19 का टीका लेने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में पत्रकारों के लिए भी उतना ही मुश्किल समय है जो जितना हम लोगों के लिए और ऐसे में कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी शहरों में ही सिमट कर रह गई। एक आंकड़े के हिसाब से देश में लगभग 300 रिपोर्टरों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश की जितने भी शहर हैं लगभग बहुत ज्यादा घनी आबादी है और कोरोना को घनी आबादी वाले जगह बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कोरोना शहर में ज्यादा कहर बरपा रही है।

भारत में विदेशों से लाई जाए ब्लैक फंगस की दवा : पीएम

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के बाद मुसीबत बनते जा रहे ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बढ़ते मामलों के बीच पीएम ने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और उन्हें दुनिया में जहां भी इसकी दवा हो, उसे हर हाल में भारत लाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर दुनिया भर में स्थित भारतीय उच्चायोग और दूतावासों को आगाह किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस दवा से निपटने के लिए एंबीसॉम और लिपोसोमल एंफोटेरेसिरिन बी का उपयोग हो

रहा है। तात्कालिक जरूरत पूरी करने के लिए पीएम के निर्देश के बाद पांच कंपनियों को लिपोसोमल एंफोटेरेसिरिन बी के उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है।इसके अलावा एंबीसॉम के लिए अमेरिकी कंपनी गलियड साइंसेस की सहायता से अब तक करीब सवा लाख खुराक का आयात किया गया है। पीएम की सक्रियता के बाद अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मायलन एंफोटेरेसिरिन बी की खुराक का प्रबंध कर रही है। कंपनी ने जल्द करीब 12 लाख खुराक उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों से एंफोटेरेसिरिन बी के स्टॉक हटाए जा रहे हैं। इमोर्चे पर सरकार ने दूतावासों और उच्चायोग को भी लगाया है। इन्हें अपने अपने देशों में एंफोटेरेसिरिन बी की उपलब्धता की संभावना तलाशने और इसे भारत भेजने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस क्रम में करीब चार दर्जन देशों के राजदूत और उच्चायुक्त ने कूटनीतिक संपर्कों के जरिये दवा की उपलब्धता की संभावना तलाशी है।

कोविड के कारण कितने बच्चे हुए अनाथ इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण इतने बड़े देश में कितने बच्चे अनाथ हो गए और इसी के साथ उसने राज्य प्राधिकारियों को उनकी तत्काल पहचान करने तथा उन्हें राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने राज्य सरकार से सड़कों पर भूख से तड़प रहे बच्चों की व्यथा समझने के लिए कहा और जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि अदालतों के किसी भी अगले आदेश का इंतजार किए बिना फौरन उनकी देखभाल की जाए। न्यायमूर्ति एल एन राव और

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने जिला प्रशासन को शनिवार शाम तक अनाथ बच्चों की पहचान करने और उनकी जानकारियां राष्ट्रीय बाल अपराध संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश स्वत:संज्ञान के एक लंबित मामले में न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की अर्जी पर दिया। इस अर्जी में राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों की स्थिति और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के लिए उठाए कदमों के बारे उसे जानकारी दें। न्यायालय ने कहा कि हमने कहीं पढ़ा था कि महाराष्ट्र में 2,900 से अधिक बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है। हमारे पास ऐसे बच्चों की सटीक संख्या नहीं है। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस विध्वंसकारी महामारी के कारण इतने बड़े देश में ऐसे कितने बच्चे अनाथ हो गए।उसने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि आप सड़कों पर भूख से तड़प रहे बच्चों की व्यथा समझते हैं। आप कृपया राज्य प्राधिकारियों को उनकी मूलभूत जरूरतों का फौरन ख्याल रखने को कहें। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पहले ही परामर्श जारी कर दिया है।

पीठ ने किशोर न्याय कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों की देखभाल करना प्राधिकारियों का कर्तव्य है।न्यायालय ने कहा कि जिला प्रशासन प्राधिकारी ऐसे अनाथ बच्चों की ताजा जानकारी शनिवार शाम तक एनसीपीसीआर की 'बाल स्वराज' वेबसाइट पर डाले। उसने कहा कि हमारा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खोने वाले बच्चों की पहचान पर ताजा जानकारी हासिल करें और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए एक जून की तारीख तय की।